निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज॰)
प्रकरण संख्या 31/2020 (रसद अपील)

श्रीमती सितारा देवी पत्नी स्व॰ श्री कन्हैयालाल गुप्ता निवासी सी–82, पानी की टंकी अम्बाबाडी, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (ई) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश कमांक रसद/एफपीएस/2020/1292 दिनांक 21.07.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके द्वारा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु अनुकम्पा आवेदन को निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.01.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती सितारा देवी पत्नी स्व॰ श्री कन्हैयालाल गुप्ता के उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु प्रस्तुत अनुकम्पा आवेदन पत्र को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 21.07.2020 से आयु के आधार पर निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी के पति स्व॰ श्री कन्हैयालाल उचित मूल्य दुकान संख्या 289 स्थित सी–82 अम्बाबाडी पानी की टंकी के पास जयपुर शहर के प्राधिकार धारक थे। अपीलार्थी के पति श्री कन्हैयालाल का दिनांक 01.10.2016 को स्वर्गवास हो जाने के बाद मृतक प्राधिकारधारक की विधिक प्रतिनिधि उसकी विधवा पत्नी को अनुकम्पा में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र अन्तरित किये जाने हेतु समस्त दस्तावेजातों के साथ प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया। जिसको प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने खाद्दय एवं नागरिक आपूति विभाग के परिपत्र कमांक एफ–17(16)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 29.07.2019 एवं एफ–17 खा.वि/ न्याय/2015 जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनाक 29.11.2019 का उल्लेख कर अपीलार्थी का आवेदन 73 वर्ष की आयु होने से निरस्त कर दिया। मृतक की बेवा को अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य दुकान का आवंटन कराने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय 2010 (2) डब्लू. एल. एन. पेज 161 (राज) कालूराम मीणा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के प्रावधान उक्त मामले में पूर्णरूप से लागू होते है। जिला रसद अधिकारी ने आलौच आदेश पारित किये जाने से पूर्व खाद्य विभाग के आदेश दिनाक 29.07.2019 एवं 19.11.2019 का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया । उक्त दोनों आदेश मृतक की विधवा को अनुकम्पा में उचित मूल्य दुकान का आवंटन किये जाने में बाधक नही है। परिपत्र दिनांक 29.07.2019 के खण्ड 4 में मृतक की विधवा की आयु सीमा 45 वर्ष से छूट दी गई है। अपीलार्थी कार्यरत प्राधिकार धारक डीलर की पत्नी है जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूर्व हो चुकी है तथा अपीलार्थी मृतक प्राध्किार धारक की बेवा पत्नी है एवं कन्हैयालाल के अन्य विधिक प्रतिनिधि को अपीलार्थी की अनुकम्पा नियुक्ति देने में कोई व्यवधान नहीं है। अपीलार्थी ने आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये है। जिनकी जांच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी मृतक कन्हैयालाल की विधवा पत्नी है तथा प्राथमिकता के कम में मृतक की प्रथम वारीस होने तथा उचित मूल्य दुकान आवंटन करने हेतु निर्धारित अर्हताए पूर्ण होने पर विधवा पत्नी के रूप में अपीलार्थी अनुकम्पा में दुकान आवंटन कराने की अधिकारणी है जबकि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया । तर्को के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय ए आई आर 2019 (एनओसी) 581 केरला, ए आई आर 2020 कर्नाटका 116 एवं ए आई आर 2020 कर्नाटका 171 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का आवेदन को स्वीकार कर स्व॰ श्री कन्हैयालाल गुप्ता के स्थान पर उसकी विधवा पत्नी अपीलार्थी को दुकान संख्या 289, सी–852 पानी की टंकी के पास अम्बाबाडी जयपुर के लिए राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र जारी किया जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान संख्या 289 के डीलर श्री कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु आवेदन किया था । आवेदन की जांच के पश्चात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र कमांक एफ–17(16)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 29.07.2019 एवं एफ–17 खा.वि./न्याय/2015 जयपुर दिनाक 29.11.2019 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदक अपीलार्थी श्रीमती सितारा देवी की उम्र 73 वर्ष होने के कारण अनुकम्पात्मक दुकान आवंटन हेतु पात्र नहीं होने आवेदन निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।
6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. मृतक उचित मूल्य दुकानदार के आश्रितों एवं विशेषतौर पर विधवा के लिए अनुकम्पा उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र कमांक एफ–17(16)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 29.07.2019 की शर्त संख्या 4 में प्रावधान किये गये है जो इस प्रकार है:– " मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 कक्षा उत्तीर्ण होगी, कम्प्युटर में दक्षता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा तथा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) में छूट रहेगी, परन्तु मृतक की विधवा के अलावा अन्य वारीसों को यदि दुकान आवंटित की जाती है तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी तथा उन्हें कम्प्युटर योग्यता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा के अलावा अन्य वारीसों द्वारा कम्प्युटर योग्यता का प्रमाण पत्र छः माह की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकेगा। "

8. उचित मूल्य दुकान के प्राधिकारधारक के लिए कोई अधिकतम उम्र निर्धारित नही है। ऐसा कोई आदेश भी पेश नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आयु 73 वर्ष होने का कारण बताते हुये उसके आवेदन को निरस्त किया गया है। जबकि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र कमांक एफ–17(16)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 29.07.2019 में मृतक उचित मूल्य दुकानदार की विधवा के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष में छूट दी गई है। इसलिए अपीलार्थिया को आयु के आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते है। फल्स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक रसद/एफपीएस/2020/1292 दिनांक 21.07.2020 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र कमाक 29.07.2019 के अनुसार निर्णय पारित करे एवं अन्य पात्रता पूर्ण करती है, तो अपीलार्थी को अनुकम्पा के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

18/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर